

2/10.

अति आवश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
निर्वाचन सदन, प्लॉट नं. 17, पंचकूला हरियाणा-134109

Website : www.secharyana.gov.in

Email id : sec@hry.nic.in

फ़ॉर्म नं. 20नि0आ0/1-लेख/2013/1009-16

सेवा में,

Phone No. +91 172 258 4810

Fax No. : +91 172 258 5904

दिनांक 15.05.2013

उपायुक्त, अम्बाला, गुडगांव, हिसार, करनाल, पानीपत, पंचकूला, रोहतक एवं
यमुनानगर ।

विषय:- नगरनिगमों एवं नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2013 के लिए राशि की
मांग तथा खर्चों की हिदायतें भिजवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर आयोग द्वारा जारी पीली पुस्तिका पत्र क्रमांक SEC/3-
Account/2010/408-428, dated 29-3-2010 के निरन्तर में।

2. आपको सूचित किया जाता है कि 7 नगरनिगमों एवं 2 नगरपालिकाओं के
आम चुनाव, 2013 दिनांक 02.06.2013 को करवाने की घोषणा की गई है। चुनावों के
लिए चुनाव मद तथा पी.ओ.एल. मदों में पत्र क्रमांक SEC/1-Acctt/2013/788-94, 805-806, 812-
818, 829-830, dated 30-04-2013 द्वारा अभिम राशि अलाट की जा चुकी है।

3. इसके अतिरिक्त 7 नगरनिगमों एवं 2 नगरपालिकाओं के प्रस्तावित आम
चुनाव, 2013 में विभिन्न खर्चों चुनाव मद (मानदेय, चुनाव सामग्री की खरीद, टैटज, बस
किराया अन्य फुट कर खर्च इत्यादि) पी.ओ.एल. (सरकारी गाड़ियों, बसों में पट्टोल/डीजल का
खर्च) यात्रा भत्ता मद (स्टाफ के लिए टी.ए./डी.ए. का खर्च) अलग निम्न तथा पीली पुस्तिका
में वर्णित हिदायतों के अनुसार गणना करके भिजवाई जाए:-

1. टैटज की व्यवस्था के लिए हिदायतें

- रिहर्सल, सामान वितरण, सामान वापसी, मतगणना रिहर्सल, तथा
मतगणना के लिये सरकारी इमारतों (कम्यूनिटी सेंटर, पंचायत
भवन, स्कूल/ कालेज हाल, अनाज मण्डी शैड इत्यादि) का इस्तेमाल
किया जाये। अगर उपरोक्त भवन उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति में
टैटज की व्यवस्था की जाए।
- प्रत्येक नगरनिगम/नगरपालिका आदि के कुल पोलिंग बूथों की संख्या
को 4 से गुणा करके उसमें 5 प्रतिशत रिजर्व स्टाफ तथा रिहर्सल
करवाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के स्टाफ को जोड़ कर कुर्सियों की
गणना की जाए तथा केवल साधारण कुर्सियां ही किराये पर ली जाएं
तथा पीली पुस्तिका में वर्णित निर्देशानुसार ही टैटज लगवाये जाएं।
- मतगणना/चुनाव सामग्री के आंबटन कार्य की आवश्यकता के अनुसार
मेजों की गणना करके किराये पर ली जाए।
- लाईट प्रबंध केवल मतदान उपरान्त सामान वापसी तथा मतगणना वाले
दिन के लिये ही आवश्यक होता है अतः तदानुसार ही लाईट/जनरेटर
आदि की व्यवस्था की जाए। यदि कार्यालय में देर रात तक कार्य
करना आवश्यक हो और उचित प्रकाश व्यवस्था न हो तो केवल गैस
किराये पर ली जाएं। केवल न्यूनतम आवश्यकता अनुसार ही प्रबंध
किया जाए।
- उपायुक्त द्वारा निर्धारित की गई दरों अथवा निविदाएं प्राप्त करके,
जो भी कम हो, के आधार पर ही टैटज का सामान किराये
पर लिया जाए। किराये की अदायगी भी एक दिन अर्थात् 24 घण्टे
प्रयोग किए गए सामान की ही की जाए।
- टैटज इत्यादि के बारे में पीली पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर वर्णित
हिदायतों की पालना की जाए।

2. मतदाता सूचियों के खर्च बिलों का निपटान :-

नगरनिगम/नगरपालिका की मतदाता सूचियों की छपवाई का कार्य समाप्त हो
चुका है। मतदाता सूचियों की छपवाई पर खर्च राशि के बिलों को आयोग की
हिदायतों के अनुसार छपवाई गई मतदाता सूचियों के बिलों को स्थानीय आडिट
अधिकारी (Resident Audit Officer)/अनुभाग अधिकारी से चैक करवाकर
सत्यापित की गई राशि की वास्तविक मांग अलग से भेजी जाए।

3. बैरीकेडिंग

बैरीकेडिंग केवल मतदान केन्द्र/मतगणना वाले स्थान पर अस्थाई तौर पर
बल्लियां/बांस/पाईप/दस्सी आदि किराये पर लेकर बनाई जाए। अति
सर्वेदनशील/संवेदनशील बूथों पर, यदि परिहार्य कारणों से बैरीकेडिंग के लिये
ईट, सीमेंट, लोहे की जाली आदि से पक्का निर्माण करना आवश्यक हो तो
आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

4. **विडियोग्राफी**
केवल अति सर्वेदनशील/संवेदनशील बूथों की विडियोग्राफी कराई जाए। सामान्यतः 5 प्रतिशत बूथों की विडियोग्राफी करवाई जाए। यदि इससे अधिक बूथों की विडियोग्राफी करवाई जानी आवश्यक हो तो इसकी पूर्व अनुमति आयोग से प्राप्त की जाए। विडियोग्राफी का भी किराये की अदायगी एक दिन (अर्थात् 24 घण्टे) की जाए।
5. **डीजल का खर्च पोलिंग पार्टी हेतु एवं सैक्टर मजिस्ट्रेट/सुपरवाइजरों द्वारा प्रयुक्त की जानी वाली गाड़ियों का किराया/डीजल आदि के लिए हिदायतें -पोलिंग पार्टियों व अधिकारियों के लिये वाहन किराये पर लेना**
- पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों पर भेजने व वापिस लाने के लिये प्राइवेट बस, ट्रक, कैंटर, जो भी उपलब्ध हो आदि को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों पर किराये पर लिया जाए। (प्रति संलग्न)
 - प्रत्येक 52 सीटर बस में 7 पोलिंग पार्टियां, मिनी बस में 5 पोलिंग पार्टियां तथा कैंटर व ट्रक में कम से कम 6 पोलिंग पार्टियां भेजी जाएं। पोलिंग बूथों की संख्या/पोलिंग पार्टियों के आधार पर ही वाहन किराये पर लिये जाएं।
 - उक्त वाहनों को केवल दो दिन के लिये ही किराये पर लिया जाए। पोलिंग पार्टियों को मतदान केन्द्रों पर छोड़ने/वापिस लाने के लिए निर्धारित वाहनों का प्रयोग किया जाये।
 - वाहनों में तेल तय की गई दूरी के हिसाब से ही डलवाया जाये। यदि किसी वाहन में आवश्यकता से अधिक तेल डलवाया गया है तो उसकी कटौती वाहन किराये में से कर ली जाए।
 - वाहनों में तेल परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा प्रत्येक वाहन के लिये तय की गई माइलेज के हिसाब से ही डलवाया जाए।
 - किराये पर लिये गये वाहनों की लागत बुक पूर्ण रूप से भरवाकर तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी से सत्यापित करवाकर फोटो प्रतियां कार्यालय रिकार्ड में रखी जाए।
 - ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर आदि के लिये जहां तक संभव हो सरकारी वाहन ही उपलब्ध करवाए जाएं और लागत बुक में तय की गई दूरी के अनुसार ही वाहनों में तेल डलवाया जाए तथा लॉग बुक की सत्यापित प्रतियां रिकार्ड में रखी जाएं।
 - चूंकि आजकल सम्पर्क साधन सुलभ व पर्याप्त मात्रा में होने के कारण हर समय आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध किए जा सकते हैं। अतः कम से कम वाहन रिजर्व में रखे जाएं।
 - आयोग के पंचकूला स्थित मुख्यालय व अन्य कार्यालयों से चुनाव सामग्री लाने व ले जाने के लिये सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों के वाहनों का ही प्रयोग किया जाए और उनमें तय की गई दूरी/ के अनुसार ही तेल डलवाया जाए।

6. **चुनाव सामग्री की खरीद के लिए हिदायतें**

आयोग के पृष्ठांकन पत्र क्रमांक निर्वाचन/2013/2366, दिनांक 3.5.2013, जोकि आपको सम्बोधित है, के अनुसार नगरनिगम/नगरपालिका के आम चुनाव, वर्ष 2013 में प्रयोग हेतु चुनाव सामग्री खरीदने के लिए निर्धारित प्रक्रिया व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता अनुसार अपने स्तर पर करने का कष्ट करें।

7. **मानदेय एवं जलपान हेतु हिदायतें :-**

आयोग के पत्र क्रमांक SEC/1-Acctt/2010/200-220, dated 30-04-2010 & SEC/1-Accounts/2011/1769-91, dated 14-9-2011 के अनुसार आप द्वारा निर्धारित किये गये पोलिंग बूथों की संख्या के आधार पर 1+3=4(1 पीठासीन अधिकारी + 3 पोलिंग अधिकारी) तथा 5 प्रतिशत रिजर्व स्टाफ की पोलिंग/मतगणना करके राशि की मांग पर भेजी जाए। दरें निम्न प्रकार से हैं:-

| Sr. No. | Remuneration & Refreshment to Polling Staff | Rate per day (Rs.) |
|---------|--|--------------------|
| 1 | Presiding officer/Counting Supervisor | Rs.250/- |
| 2 | Polling officer/Counting Assistant | Rs. 175/- |
| 3 | Police personal deployed on election duty for polling/counting day including mobile parties/Home Guards/Forest Gurads/Gram Rakshak Dal/NCC (Senior) cadets/ Ex-Army/CPF shall provided with packed lunch/refreshment or payment in lieu thereof as is being given to polling/counting personnel @ Rs. 100/- per head per day. | Rs. 100/- |
| 3 | Sector officer/Zonal Magistrate shall be paid remuneration at lump sum rate | Rs.800/- |
| 4 | Class IV employees | Rs. 100/- |
| 5 | Staff deployed at all polling stations/counting centers shall be provided with packed lunch and /or light refreshment @ Rs. 100/- per head per day. In case of difficulty in providing packed lunch a cash payment of Rs. 100/- per head shall be made. | Rs. 100/- |
| 6 | Master Trainer for checking of EVMs (Max. upto 3 days) | Rs. 250/- |
| 7 | Mobile & Phone expenses/charges for P.O. per booth | Rs. 100/- |

रिजर्व स्टाफ 5 प्रतिशत के हिसाब से रखा जाए।

8. आयोग के ध्यान में आया है कि प्रायः आवश्यकता से अधिक राशि खजाने से झा कर ली जाती है, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। खजाना कार्यालय से केवल उतनी ही अग्रिम राशि झा करवाई जाए, जितनी राशि के खर्च होने की सम्भावना हो। खजाना से राशि बिना अनुमान के अग्रिम राशि झा न करवाई जाए, क्योंकि अनावश्यक राशि झा करवाने की स्थिति में राशि चैस्ट में पडी रहती है अथवा 0070 हैड में जमा करवाई जाती है।

9. चुनाव सम्पन्न होने के उपरान्त चुनाव मद, पी.ओ.एल. मद तथा यात्रा भत्ता मद में, यदि कोई अतिरिक्त राशि की मांग हो तो उसकी अलग-2 डिटेल बनाकर राशि को स्थानीय आडिटर अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से सत्यापित करवाकर तुरन्त भिजवाई जाए। बिना तसदीक के किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. चुनाव सामग्री वितरण तथा मतगणना के लिए आवश्यकतानुसार कम से कम स्टाफ नियुक्त किया जाये तथा रिजर्व स्टाफ से चुनाव सामग्री वितरण में सहायता प्राप्त की जाए।

11. मानदेय की राशि का वितरण सुपरवाइजर अनुलग्नक प्रोफार्मा 'ग' में भरकर ड्यूटी समाप्ति के उपरान्त प्रमाण पत्र देते समय किया जाए तथा अन्य स्टाफ का मानदेय नगरनिगम/नगरपालिका कार्यालय से लिया जाए।

12. अनुलग्नक पुस्तक में मानदेय आदि की पुरानी दरें वर्णित हैं, जोकि पत्र दिनांक 30.04.2010 एवं 14.9.2011 द्वारा संशोधित हो चुकी है। कृपया संशोधित दरों के अनुसार ही भुगतान करने करने का कष्ट करें।

13. यदि किसी भी हिदायत बारे स्थिति स्पष्ट न हो तो आयोग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाए।

14. अधिक जानकारी के लिए आयोग की website www.secharyana.gov.in पर देखें।

de
मुख्य लेखा अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा।
email Id cao.sec@hry.nic.in

सलंगन-पीली पुस्तिका तथा प्राफोर्मा ग

क्रमांक रा0नि0आ0/1-लेखा/2013/1017-25

दिनांक 15.05.2013

इसकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. सचिव नगरनिगम, अम्बाला, हिसार, करनाल, पानीपत, पंचकूला, रोहतक, यमुनानगर तथा सचिव नगरपालिका, फारुखनगर, (गुडगांव), कलानौर (रोहतक), ।

de
मुख्य लेखा अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा।
email Id cao.sec@hry.nic.in

प्रति : अधीक्षक नगरपालिका शाखा, पंचायत शाखा



प्रोकरणा "अ"

गणदेय शुजतान प्रालत रसीव

ललल कः गः

गः गंघर १/३० सललतल/ललल गखड/लललरगतलक/लललरगखड/लललरलललल कः गः

डुड संखड

डुगः/उडः डुगः वः

डः ललल ग १ नं०

| कः गः | अलकः/कः गः का गः | डः कः गः | खडल कः ललल | डुगः कः ललल | सः गः कः ललल | गः गः कः ललल | गणदेय कः ललल | खडल कः ललल | डुड ललल | डः/ गः ललल रः ललल | डः कः ललल कः ललल कः ललल |
|-------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

FAX MESSAGE
STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA, NIRVACHAN SADAN
PLOT NO. 2, SECTOR 17, PANCHKULA.

ORDER

Sanction is hereby accorded to the enhancement of remuneration instead of TA/DA to the staff deputed for election work during elections to the Panchayats/Urban Local Bodies on the analogy of scheme adopted by the State Government for the conduct of elections to the State Legislature/Parliament on the pattern of Election Commission of India letter No. 464/INST/2009/eps, Dated 9th January, 2009 as under :-

| Working Hours/ Days | Presiding Officer/ Counting Supervisor | | Polling Officers/ Counting Assistants | | Class IV | |
|--|---|---------|--|---------|-------------|---------|
| | Pre-revised | Revised | Pre-revised | Revised | Pre-revised | Revised |
| For the First Day (i.e. upto 24 hours) | 100/- | 250/- | 75/- | 175/- | 70/- | 100/- |
| For each subsequent day (i.e. beyond 24 hours) | 50/- | --- | 40/- | -- | 25/- | -- |

2. The above rates are also applicable to the staff for attending training classes, collecting polling materials, etc., and also for attending duty on the polling day. Attendance of training for elections is counted as a separate day.

3. The staff deployed at all polling stations/counting centers shall be provided with packed lunch and /or light refreshment at the rate of Rs.100/- per head per day. In case of difficulty in providing packed lunch a cash payment of Rs.100/- per head shall be made.

4. This issues with the concurrence of the Govt. memo NO. 20/27/2006-2Pol, dated 28-04-2010

Dated, Panchkula
the 29th April, 2010

**STATE ELECTION COMMISSIONER,
HARYANA.**

Endst. No. SEC/1-Accounts/2010/ 200-220

dated 30th April, 2010

A copy is forwarded to all the Deputy Commissioners-cum-District Election Officers (Panchayat/Municipality), in the State of Haryana for information and necessary action.

2. Please ensure that in future, remuneration instead of TA/DA to staff deputed for polling/counting duty, attending training classes and distributing/collecting polling materials in respect of Panchayat/Urban Local Bodies elections will be regulated according to above sanction. No travelling charges will be paid separately.

3. These instructions will not be applicable to staff deputed for election duty pertaining to collection of election material from the Commission's office/Election Department, Printing Presses etc. printing of voter's lists, ballot papers, receiving nomination papers and other works except as mentioned in the above sanction, in which case TA/DA as per Haryana Government instructions will be paid.

4. Accordingly, the demand for payment of remuneration instead of TA/DA may be sent to the commission before every General/Bye-election well in time in order to ensure payment on the spot after completion of election process at the time of issuance of relieving chit.

Senior Accounts Officer,
State Election Commission, Haryana.
Dated:- 30th April, 2010

Endst.No. SEC/1-Accounts/2010/221

A copy is forwarded to the Chief Secretary to Government Haryana for information w.r.t. memo No. 20/27/2006-Pol (2P), dated 28-04-2010 for information.

Senior Accounts Officer,
State Election Commission, Haryana,

State Election Commission, Haryana,
Nirvachan Sadan, Plot No. 2, Sector -17
Panchkula, Haryana-134109

Website: www.secharyana.gov.in

Phone : +91 172 258 4810
Fax : +91 172 258 5904

Letter No. SEC/1-Accounts/2011/1769-89
To

Dated 14-9-2011

The All Deputy Commissioners, Haryana.

Subject : **Providing enhanced remuneration to Sector Officer/Zonal Magistrate and refreshment to Police & Security Personnel during elections to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the State of Haryana.**

In continuation of this office endst No. SEC/1-Accounts/2010/200-220, dated 30th April, 2010 and in view of clarification given by the Government vide memo No. 20/27/2006-2Pol, dated 09-06-2011, the police personnel deployed on election duty for polling/counting day including mobile parties/Home Guards/Forest Guards/Gram Rakshak Dal/NCC(Senior) Cadets /Ex- Army/CPF shall be provided with packed lunch/refreshment or payment in lieu thereof as is being given to polling /counting personnel at the rate of Rs. 100/- per head per day.

2. Sector officer/ Zonal Magistrate shall be paid remuneration at a lump sum rate of Rs. 800/-.
3. It may be ensured that the proper record of expenditure shall be maintained by your office.
4. This issues with the concurrence of the Government conveyed vide letter No. 20/27/2006-2Pol, dated 09-06-2011.
5. These instructions shall be applicable with immediate effect.

Sd/-
Secretary
State Election Commission, Haryana.
dated 14-9-2011

Endst. No. SEC/1-Accounts/2011/1790-91

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Secretary to Government of Haryana for information w.r.t. his memo No. 20/27/2006-2 Pol, dated 09-06-2011.
2. The Financial Commissioner and Principal Secretary to Government of Haryana, Finance Department.

Sd/-
Secretary
State Election Commission, Haryana.

फैक्स संदेश चुनाव सम्बन्धी तिथिबद्ध

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
निर्वाचन सदन प्लॉट नं०-२, सैक्टर-१७, पंचकूला
फैक्स नं० ०१७२-२५८५९०४, २५८५६७०, २५८५६७१
e-mail cao.sec@hry.nic.in

क्रमांक: रा०नि०आ०/१-लेखा/२०१०/६६३-६८१

दिनांक १९.०५.२०१०

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)

विषय:-

पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के आम चुनाव, २०१० के दौरान यातायात नियन्त्रक द्वारा संशोधित वाहन किराया दर के रेट के अनुसार बस किराये की गणना करके अदायगी करने बारे।

उपरोक्त विषय पर परिवहन आयुक्त, हरियाणा के पृष्ठांकित पत्र क्रमांक ८८४६ ए०टी०३/एस०टी०-१, दिनांक २९.०३.२०१०, जो राज्य के सभी सचिव, क्षेत्रीय परिवहन अधीक्षक, हरियाणा को सम्बोधित है, के संदर्भ में। (प्रति संलग्न)

२- आपको सूचित किया जाता है कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा ने अपने उपरोक्त पत्र के द्वारा विभिन्न मोटर के रेट को संशोधित कर दिया है। अतः पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के आम चुनावों में यदि प्राईवेट बस, ट्रक, कैंटर की आवश्यकता अनुसार किराये पर लें तथा राज्य परिवहन आयुक्त, हरियाणा के पत्र पृ० क्रमांक ८८४६/एस०टी०-१, दिनांक २९.०३.२०१० के अनुसार संशोधित निर्धारित दरों के अनुसार किराये की गणना करके अदायगी की जाए।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

संलग्न-उपरोक्त

वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा।

From

The Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

To

All Secretary,
Regional Transport Authorities
in State of Haryana.

Memo No. 8825-45/AT-3/ST-I

Dated

29-3-10

Subject: Fixation of hiring charges for various vehicles.

Please refer to this office letter No. 1591-1610/AT-3 da
4.2.2002 on the subject cited above.

The following revised rates for hiring of various type of mc
vehicles are approved:-

| Sr. No. | Type of Vehicle | Approved Rates per day (Rs.) | |
|---------|---|------------------------------|---------------------------|
| | | For Area | Unforeseen For Peace Area |
| 1 | Bus (52 seater) | 3100/- | 1200/- |
| 2 | Mini Bus | 1900/- | 1000/- |
| 3 | Truck | 1900/- | 900/- |
| 4 | Medium Transport Vehicle | 1200/- | 700/- |
| 5 | Light Transport Vehicle | 1000/- | 550/- |
| 6 | Car/Taxi | 600/- | 400/- |
| 7 | Tata Sumo/Qualis or any other such other of vehicle | 900/- | 500/- |

Other terms and conditions are proposed as under :-

- a) **For Unforeseen Areas**
 - 1) The aforesaid rates are only "Dry Leasing" charges and do not include POL expenditure. The POL expenditure was provided by the concerned CPMF in addition to the aforesaid hiring charges.
 - 2) Facilities of boarding and lodging to the crew staff was provided by the CPMF. However, a sum of Rs. 30/- per diet was paid by the vehicular staff and free accommodation was also provided by CPMF.
 - 3) It was agreed that the vehicular staff will be provided the same compensation in case of terrorist related violence as available to CPMF from the State of J&K.
 - 4) It was also agreed that in case of damage of vehicles due to terrorist related violence compensation to the vehicle owner would be paid as per the assessment of the damage by the CPMF.

6) It was also decided that all the State Govts. would issue necessary instructions to exempt the vehicle passing through the concerned State to J&K State from payment of inter-state taxes.

b) For Peace Areas

- 1) Diesel and POL will be supplied by the hirer.
- 2) The above rates are inclusive of all taxes etc.
- 3) No payment shall be made for a non-working day when the vehicles are not in fit mechanical condition.
- 4) Cost of major and minor repairs will be borne by the owner.
- 5) The owners shall provide their own drivers and cleaner/conductor who shall be responsible for the efficient and proper maintenance. Pay and other expenses of drivers/cleaners shall be borne by the owner.
- 6) Cost of replacement of tyres and tubes will be borne by the owners.
- 7) Passenger and goods tax, if levied will be borne by the hirer.


for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Endst.No 8846 /AT-3

Dated 28-3-76

A copy is forwarded to the Chief Electrical Officer, Haryana Chandigarh for information & taking necessary action.


for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.